Registered

राजस्थान सरकार

**औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान**

क्रमांकः डीसी–2/ए–3/एफ– /2011/669 दिनांक 11/11/11

समस्त अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक,
राजस्थान ।

विषयः– राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 के 14 नवम्बर, 2011 से प्रभावी/लागू होनें के सम्बंध में।

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 को दिनांक 14 नवम्बर, 2011 से सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू किया गया है जो राज्य सरकार की अधिृत वेबसाईट www.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। चूंकि इस अधिनियम में दण्डात्मक प्रावधान है, अतः औषधि अनुज्ञापत्र (विक्रय एवं निर्माण) का निस्त्तारण निर्धारित समयावधि में किया जाना आवश्यक है।

उक्त अधिनियम के तहत लाईसेन्सिग आथोरिटी एवं सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा औषधि विक्रय अनुज्ञापत्र 20 दिन में जारी किये जानें है। पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में रखे जानें वाले रजिस्टर का प्रारूप–3 के अनुसार सूचनायें एक रजिस्टर में संधारित की जानी है, जो संलग्न है। इसके अतिरिक्त कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड भी लगाया जाना है जिसका प्रारूप–2 भी संलग्न है, जिसे प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है। अतः समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अधिनियम की पूर्ण पालना के लिये आवश्यक कार्यवाही करें एवं समयावधि में लोक सेवायें प्रदान करें।

संलग्नः– प्रारूप–2 एवं–3

औषधि नियंत्रक
राज0,जयपुर

प्रतिलिपि

1. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारियों को भेजकर लेख है कि नये ड्रग लाईसेन्स की पत्रावलियों का निस्तारण यथशीघ्र करें जिससे उक्त अधिनियम की पालना सुनिश्चित की जा सके, अन्यथा आप भी दण्ड के भागी होंगे।
2. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाइट पर डालनें का श्रम करें।

औषधि नियंत्रक
राज0,जयपुर

प्ररूप –2

(नियम 7 देखिए)

**नोटिस बोर्ड का प्ररूप**

पदाभिहित अधिकारी का नाम :................................................

कार्यालय पता :................................................................

| क सं | अधिसूचित सेवाएं | आवेदन के साथ संलग्न किये जानें वाले दस्तावेज | सेवाएं प्रदान करनें के लिए नियत समय सीमा | प्रथम अपील अधिकारी पदनाम और पता | प्रथम अपील के निपटान के लिए नियत समय सीमा | **द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम और पता** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

1. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करनें के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम ...............................
2. प्रथम अपील फाइल करनें के लिए समय सीमाः पदाभिहित अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर।
3. द्वितीय अपील फाइल करनें के लिए समय सीमाः प्रथम अपील अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर ।

टिप्पण : कृपया अनिवार्यतः अपने आवेदन की अभिस्वीकृति प्राप्त करें।

प्ररूप –3

(नियम 17 देखिए)

**पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में रखे जानें वाले रजिस्टर का प्ररूप**

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम : ..............................................

मास.............................. वर्ष..............................

| क सं | आवेदक का नाम और पता | सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया है | नियत समय सीमा की अंतिम तारीख | आवेदन मंजूर / नामंजूर | पारित आदेश की तारीख और ब्यौरे |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |